

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1986]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1986]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2660(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2082(अ), दिनांक 7 जून, 2016, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 13 जून, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धियाँ करती हैं।

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 2 पर लाइन संख्या 2 “गैचर” को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर “गौचर” पढ़ा जाये।

पृष्ठ संख्या 2 पर क्र.सं. 2 में कॉलम नं. 2 में गाँव का नाम “बोश” को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर “बोभा” पढ़ा जायें।

पृष्ठ संख्या 9 पर क्र.सं. 2 में कॉलम नं. 2 में गाँव का नाम “बोधा” को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर “बोभा” पढ़ा जाये।

[फा. सं. आर-31015/7/2016-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2660(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 2082(E), dated 7th June, 2016 published in the Extraordinary Gazette of India dated 13th June, 2016 as under namely,

In the said notification At Page No. 2 Line No. 2 The Word “Gaichar” Shall be deleted and it should be read as “Gauchar”.

At Page No. 2, Sl. No. 2 in column No. 2. The Name of Village “Bosh” Shall be deleted and it should be read as “BOBHA”.

At Page No. 9, Sl. No. 2 in column 2, The Name of Village “Bodha” Shall be deleted and it should be read as “BOBHA”.

[F. No. R-31015 /7/2016-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2661(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2083(अ) दिनांक 7 जून, 2016, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 13 जून 2016 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है।

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 21 पर लाइन नं. 30 पर “सर्वे/ब्लोक नं. 248/5 का क्षेत्रफल 00-07-78” को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर “सर्वे/ब्लोक नं. 325/1 का क्षेत्रफल 00-07-78” पढ़ा जाये।

[फा. सं. आर — 31015 /7 /2016—ओआर II]

पवन कुमार, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 2083(E), dated 7th June, 2016 published in the Extraordinary Gazette of India dated 13th June, 2016 as under namely,

In the Said Notification at Page No.21, in line No.30, The “Survey/Block No. 248/5 and its area 00-07-78” shall be deleted and it should be read as “survey/Block No. 325/1 and its area 00-07-78”.

[F. No. R-31015 /7/2016-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.